



सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु

MARATHAHALLI COLONY P.O.,

BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.792 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 792

**विषय/Sub: बैटरी सेकंडरी निकेल कैडमियम फाइबर टेक वेंटेड 24 वी, 25 ए एच, (2^{1/2} आवर रेट)/
Battery Secondary Nickel Cadmium Fiber Tech Vented 24V, 25AH (2 ½ Hour Rate)**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हाई एनर्जी बैटरीज (इंडिया) लिमिटेड, माथुर-622 515, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " बैटरी सेकंडरी निकेल कैडमियम फाइबर टेक वेंटेड 24 वी, 25 ए एच, (2^{1/2} आवर रेट)" को पत्र सं. सेमिलेक/5070/टीए-792 दिनांक 30 दिसंबर 1996 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. टी ए 792 जारी किया गया था तदुपरांत पत्र संदर्भ सं. सेमिलेक/5070/टीए-792/3 ए, दिनांक 24 मई 2011 द्वारा नवीकरण किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2012 तक वैध था।

This is to state that "Battery Secondary Nickel Cadmium Fiber Tech Vented 24V, 25AH (2 ½ Hour Rate), designed, developed and manufactured by M/s. High Energy Batteries (India) Ltd., Mathur - 622 515, was issued with Type Approval No. 792 vide letter No. CEMILAC/5070/TA-792 dated: 30th Dec 1996 which was subsequently renewed and valid up to 31st Dec 2012 vide letter ref No. CEMILAC/5070/TA-792/3A dated: 24th May 2011.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मई 2013 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है तथा यह 30 जून 2018 तक वैध है बशर्ते इस स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (वायुयान), सेमिलेक, डी आर डी ओ, मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु-560 037 से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र के अन्य सभी शर्तें वही रहेंगे।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st May 2013 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2018 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Marathahalli Colony P.O, Bengaluru- 560 037, three months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause. All other conditions stipulated in the type approval letter remain unaltered.

सं./No. : सेमिलेक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-792/4R

दिनांक/Date: 07 June 2013

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

(डॉ.के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)

विशिष्ट वैज्ञानिक-सी सी आर एण्ड डी (एरो) /DS-CC R&D (Aero)

मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)

06/06/13
25/06/13
6/6